समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

कर्नाटक हाई कोर्ट का 3 आयुर्वेदिक कॉलेजों पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना, राशि जाएगी सेना कल्याण कोष मे

Publisher

Published on 15 Sep 2025

कर्नाटक हाई कोर्ट ने तीन आयुर्वेदिक कॉलेजों पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह निर्णय उन कॉलेजों द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2022-23 और 2023-24 में कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) से आवंटन पत्र प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देने के मामले में लिया गया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि सेना के कल्याण कोष में दी जाएगी।

कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, तीनों आयुर्वेदिक कॉलेजों ने KEA से अनुमति प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश प्रदान किया। KEA से आवंटन पत्र का होना अनिवार्य होता है ताकि छात्रों का प्रवेश कानूनी और नियामक ढांचे के अनुसार हो। नियमों का उल्लंघन करने पर हाई कोर्ट ने कड़ा कदम उठाया।

हाई कोर्ट ने यह माना कि बिना आवंटन पत्र के छात्रों को प्रवेश देना न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि इससे शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है। अदालत ने आदेश दिया कि इस तरह के कार्यों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी कॉलेज इस प्रकार की अनियमितता न करे।

हाई कोर्ट ने तीनों कॉलेजों को कुल 3 करोड़ रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राशि किसी सामान्य खाता या कॉलेज के लाभ के लिए नहीं, बल्कि सेना के कल्याण कोष में जमा की जाएगी। इसका उद्देश्य समाज और राष्ट्रीय हितों को लाभ पहुंचाना है।

तीनों आयुर्वेदिक कॉलेजों को आदेश मिला कि वे निर्धारित समय में जुर्माने की राशि जमा करें। यदि समय पर राशि जमा नहीं की गई तो अतिरिक्त दंड भी लगाया जा सकता है। साथ ही, कॉलेजों को KEA से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही भविष्य में छात्रों का प्रवेश देने का निर्देश दिया गया।

इस कदम से अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भी सख्त संदेश मिला है कि नियमों का पालन अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की

अनियमितता कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकती है।

शैक्षणिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला शिक्षा क्षेत्र में अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्णय से छात्र, अभिभावक और प्रशासन सभी के लिए यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि शिक्षा संस्थान नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि जुर्माने की राशि सेना कल्याण कोष में देने का निर्णय सामाजिक दृष्टि से सराहनीय है। इससे कॉलेजों के नियम उल्लंघन से होने वाले नुकसान का सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक उपयोग सुनिश्चित होगा।

इस मामले में प्रभावित छात्रों और अभिभावकों को शिक्षा में किसी प्रकार की कमी या हानि नहीं हुई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रवेश नियमों का पालन न करने पर जुर्माना कॉलेजों को देना है, न कि छात्रों को। इस कदम से छात्रों की शिक्षा और उनके भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ा।

कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भी सावधान रहने की चेतावनी मिली है। KEA से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है और नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

इसके अलावा, अदालत ने यह संकेत दिया कि शिक्षा संस्थान केवल अपने लाभ के लिए नियमों को दरकिनार नहीं कर सकते। पारदर्शिता और नियमों का पालन शिक्षा क्षेत्र की विश्वसनीयता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

कर्नाटक हाई कोर्ट का यह आदेश यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा संस्थानों को नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तीन आयुर्वेदिक कॉलेजों पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना न केवल कानूनी कार्रवाई है, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाला कदम भी है। जुर्माने की राशि सेना कल्याण कोष में जाने से राष्ट्रीय हितों में योगदान भी सुनिश्चित हुआ है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.